भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- +4488

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

पीएम- जनमन योजना का कार्यान्वयन

+4488. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार और पीवीटीजी समुदायों के साथ सहयोग सहित इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीवीटीजी को सहायता प्रदान करने के लिए किए गए पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके):

(क) से (घ): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

पीएम जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी

आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह कार्य शुरू किया है।

राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना था, जो आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

पीएम जनमन योजना के शुभारंभ से पहले, पीवीटीजी के विकास के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "पीवीटीजी के विकास" की योजना को क्रियान्वित कर रहा था, जिसमें संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश को संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां मुहैया करायी जाती थीं। ये बुनियादी ढांचे में अंतरों को भरने के लिए थे और मांग से प्रेरित थे। पीएम जनमन योजना की शुरुआत के साथ ही पीवीटीजी के विकास की योजना को बंद कर दिया गया है और मंत्रालय केवल मार्च 2025 तक की प्रतिबद्ध देनदारियाँ प्रदान कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 6वीं से 12वीं कक्षा तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना “एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)” भी क्रियान्वित कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की है। यह इकाई प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से साझेदार मंत्रालयों के साथ सहयोग करती है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टरों, साझेदार मंत्रालयों और राज्य आदिवासी कल्याण विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाती है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर मंथन शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

*****